न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

नामः पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–194/2018 निर्णय दिनांकः–09.03.2022
जी सी एम एस न. 2018/00405

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. पाला पुत्र किशन जाति माली निवासी मावता

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बारानी 1 से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

विवादित भूमि में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है किन्तु विवादित भूमि में सलंग्न रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा अवैध बजरी खनन कर अतिक्रमण करना पाया गया, जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृति से किया जा रहा हैं। उक्त विवादित भूमि कृषि कार्यो के लिये राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी को दी गई थी। राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। इस प्रकार अप्रार्थी का कृत्य विरूद संविदा होने से अप्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री छोंटुराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र इकतरफा श्रवण की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बारानी 1 पर अवैध बजरी खनन कर अतिक्रमण किया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बारानी 1 से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अलोक[illegible] किया गया। प्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के प्रार्थना पत्र के अ[illegible] ने ग्राम [illegible] पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बार[illegible] कर अतिक्रमण किय[illegible]तः

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बारानी 1 से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के वर्तमान भूमि ख0न0 672 रकबा 0.20 है0, किस्म बारानी 1 से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त वर्णित भूमि में से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा राज लेवे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

9/3/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।

9/3/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:32 IST
Reason: SelfAttested